सं. 14(1) संस्था-समन्वय/96

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषयः— केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 1995-96 के लिए तदर्थ बोनस की मंजूरी।

मुझे उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लेखा वर्ष 1995-96 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस मंजूर किए जाने के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति संप्रेषित करने का निदेश हुआ है। यह अदायगी केन्द्रीय पुलिस और अर्ध-सैन्य कार्मिकों तथा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए भी स्वीकार्य होगी। यह आदेश उन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के बारे में केन्द्रीय सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह अदायगी की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. ऊपर उल्लेख किए गए वर्ष 1995-96 के लिए तदर्थ बोनस की गणना 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार 3500/- रुपए सहित और 3500/-रुपए प्रतिमास तक की वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी। तथापि, अधिकतम राशि उस राशि तक सीमित रखी जाएगी जो 2500/- रुपए प्रतिमास की परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है। 2500/- रुपए प्रतिमास से अधिक परन्तु 3500/- रुपए प्रतिमाह से अनाधिक मासिक परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो कि परिलब्धियां 2500/- रुपए प्रतिमास है। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 3500/- रुपए प्रतिमास की अधिकतम सीमा इस बात को ध्यान में रखे बिना ही लागू होगी कि परिलब्धियां संशोधन-पूर्व वेतनमान में अथवा संशोधित वेतनमान में ली जाती हैं।

3. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :—

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.96 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान कम-से-कम छः महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(ii) इन आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31.3.96 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी। इन आदेशों में प्रयुक्त "परिलब्धियों" शब्द में मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और महंगाई भत्ता शामिल होगा तथा जिन कर्मचारियों ने अभी तक संशोधित वेतनमानों का विकल्प नहीं चुना है उनके मामले में अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत भी शामिल किए जाएंगे किन्तु और अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता, विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, बाल शिक्षण भत्ता आदि शामिल नहीं किए जाएंगे। इस मंत्रालय के दिनांक 27 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(26)-संस्था.III/93 और 14.7.95 के का.ज्ञा.सं. 7(51)E.III/95 के तहत मंजूर की गई अंतरिम राहत भी शामिल नहीं होगी।

(iii) नैमित्तिक कामगार जिसने पिछले 3 वर्षों या इससे अधिक समय के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम 240 दिवसों के लिए काम किया है, इस तदर्थ अदायगी का पात्र होगा। इस राशि की अदायगी 750/- रुपए प्रतिमास के काल्पनिक वेतन पर की जाएगी। अदा किए जाने वाले तदर्थ बोनस की राशि रुपए 750 x 30/31 अर्थात् 725.80 रुपए (726 रुपए में पूर्णांकित) होगी। ऐसे मामलों में जहां पर वास्तविक परिलब्धियां 750/- रुपए प्रतिमास से कम होती हों, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अन्तर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपए पर पूर्णांकित की जाएगी।

(v) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.14(10)-संस्था.(समन्वय)/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

4. इन आदेशों के अंतर्गत अदायगियां संबंधित संगठनों की संगत अनुदानों की मांगों में उप-शीर्ष (वेतन) में प्रभार्य होंगी।

5. तदर्थ बोनस पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(श्याम सुन्दर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।

प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि-आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित।